

आयालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
(जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 88/2017  
GCMS No. : 2017/00178

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण

लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. रामनिवास पुत्र शिवदान

जाति- कुमावत, निवासी- बांझाकुड़ी,

तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,  
1955

तारीख रजू - : 02.05.2017

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 07/09/2020

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 61/11 कुल रकबा 1-00 बीघा, मौजा पातुस में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी हेतू प्लॉटिंग जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है दावा हाजा के लिए मुख्यासमत दिनांक 06.04.2017 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र पेया करने हेतू अनेकानेक एवं अंतिम से अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र




श नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 61/11, रकबा 1-00 बीघा जिसकी किरम बारानी अब्बल है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया कार अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर प्लॉटिंग आदि करके आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी एवं तहसीलदार, जैतारण की मौका फर्द दिनांक 22.03.2017 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करके आवासीय कॉलोनी के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादी खातेदार को वादग्रस्त आराजी में से खातेदारी, अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

**--: आदेश :-**

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- पातुस, तहसील- जैतारण खसरा संख्या 61/11, रकबा 1-00 बीघा, किरम- बारानी अब्बल से प्रतिवादी खातेदार रामनिवास पुत्र शिवदान निवासी- बांजाकुड़ी के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। प्रतिवादी रामनिवास को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। इसी मुताबिक पर्वा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड  
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड  
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण  
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार  
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. रामनिवास पुत्र शिवदान  
जाति- कुमावत, निवासी- बांझाकुड़ी,  
तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा ,  
177 राजस्थान काश्तकारी

मु0न0 :रा0वा0 स0: 88/2017

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- पातुस, तहसील- जैतारण, खसरा नंबर 61/11, कुल रकबा 1-00 बीघा, मौजा- पातुस, किस्म- बरानी अव्वल से प्रतिवादी खातेदार रामनिवास पुत्र शिवदान निवासी- बांजाकुड़ी के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। प्रतिवादी रामनिवास को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो। नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07/09/2020 को जारी किया गया।



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जैतारण (जिला) पाली

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-			मिजान:-	01	00

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।